


उपखण्ड आफिस इर 2021 केस कोर्ट पलाहरा
 में मंगलसरी पुत्र औरराम पाति गुर्जर गिफती
 आलायत में एक आवेदन पत्र किया कि
 उनके पिता औरराम के चार पुत्र जाधू,
 काना, जानू व मंगला थे। प्राणी को पैसक
 कृषि भूमि खसरा नम्बर 805, 806 किला-2
 धुल खन्वा 0.48 ई० में औरराम पुत्र खन्वा
 का 1/2 हिस्सा था। औरराम की मृत्यु के परचाह
 विरासत का वाफान्तरकरण सं० 68 दि० 27/6/1969
 को ग्राम पंचायत द्वारा प्राणी को खोले हुए
 तीन पुत्रों के नाम स्वीकार किया गया। गिफती
 जाधू के प्राणी को आदिवाक तक गये हुए।
 इतना वाफान्तरकरण निरस्त किया जाना पुनः सभी
 वारिसों का नाम नहीं करते हुए पुनः नामांकन
 जानी



मंगलसरी



मंगलसरी



मंगलसरी

उपकरण के आवलोकन से स्पष्ट है कि
 उपकरण मू-2 जाधू अधिनिपम 1956 की चार
 75 के तहत निस्तारण योग्य है और प्राणी
 की अपील के रूप में दर्ज किया गया।

खापर

बाबुनाथ

उपकरण का आवलोकन किया गया। उपर
 उल्लेखित जाधू सं० 68 में अधि सं० 402
 की आवेदनी औरराम पुत्र खन्वा के नाम 1/2 हिस्सा
 दर्ज था। पुराने सं० 402 के नये खसरा नम्बर
 805 व 806 किला मिलाव अंताफल से पुनर्गठित
 जाधू सं० 68 में औरराम की विरासत का वाफान्तरकरण
 जाधू, काना, व जाधू के नाम दर्ज है गया। जाधू,
 काना व जाधू कोर्ट से चुके हैं उनके उपरि
 कब्रिदान कब्रिदान पुत्र चड्ढार सं० जाधू व किला
 पं० 510 जाधू, कपारी व लरकार पुलाव काना
 व भेदा पुत्र जाधू द्वारा मंगला का नाम दर्ज
 होना कलाप व जाधू आवेदनी में दर्ज करने
 में अपील नदरि पुनः को। ग्राम पंचायत
 पलाहरा के भी वारिस पुनःपल 1/2 हिस्सा



मंगलसरी

दि. 17/12/21

